उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-14/2016/333/92-2-16-120आरई/98

लखनऊ:: दिनांक:: 31 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री एम0के0 भार्गव, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-121, 580 एवं 585 में उल्लिखित प्राविधानो के विपरीत वित्तीय वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/निक्षेप में उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय करके रू0 16,12,026.00 लाख का ऋणात्मक व्यय किया गया। इसी प्रकार वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर-181 एवं 184 में उल्लिखित स्टोर परचेज नियमों के विपरीत स्वीकृत प्राक्कलन में निर्धारित स्टाक लिमिट से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय अधीक्षण अभियंता की पूर्व अनुमति के बिना किया गया। श्री भार्गव को उक्त अनिमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व सिविल सर्विस रूल्स के नियम-55 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5441/62-3-99-120आरई/98 दिनांक 06-05-1999 द्वारा अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ श्री वी0के0 गोयल, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 30-12-2000 को जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर द्वारा स्थापित पाये गये आरोपो पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-02-2003 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 15-03-2003 द्वारा अपना अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध कराया गया। श्री भार्गव के विरूद्व अधिरोपित 02 आरोपों में से आरोप संख्या-2 के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करके आरोप मुक्त किये जाने के कारण पुन: परीक्षण का औचित्य नही पाया गया। आरोप सं0-1 में अपचारी अधिकारी को निक्षेप कार्यो हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रू0 12,91,264.00 का व्ययाधिक्य पाया गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता से प्राप्त आख्यानुसार श्री एम0के0 भार्गव, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (से0नि0) के विरूद्व दर्शाये गये ऋणात्मक व्यय की धनराशि रू0 12,91,264.00 के सापेक्ष समस्त समायोजनों के उपरान्त रू0 53,635.08 का ऋणात्मक व्यय पाया गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता से पुन: प्राप्त आख्या/सूचना दिनांक 03-02-2016 एवं 10-02-2016 के अनुसार अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 भार्गव तत्कालीन अधिशासी अभियंता (से0नि0) के विरूद्व अवशेष/असमायोजित ऋणात्मक व्यय की धनराशि रू0 53,635.09 का समायोजन किया जा चुका है। इस प्रकार श्री भार्गव पर कोई आरोप स्थापित नही है। उपरोक्त स्थिति में श्री एम0के0 भार्गव, तत्कालीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिशासी अभियंता (से0नि0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-5441/62-3-99-120आरई/98 दिनांक 06-05-99 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सचिव।

संख्या-14/2016/333/92-2-16 तददिनांकित।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
4- श्री एम0के0 भार्गव, तत्का0 अधिशासी अभियंता, सेवानिवृत्त ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- बलिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अनुभाग अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।